न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 954–पांच/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–99 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 345/अ–6/95–96.

1– बन्दी
2– छन्नी
पुत्रगण प्यारेलाल कुर्मी
3– नाथूराम पुत्र तांतिया कुर्मी
4– कृपाल
5– छंगा
पुत्रगण बन्दी कुर्मी
6– हरप्रसाद
7– गयाप्रसाद
पुत्रगण छन्नती कुर्मी
निवासीगण खजुराहो तहसील रामनगर
जिला छतरपुर ––––– आवेदकगण

विरूद्ध

मथुरा प्रसाद पुत्र प्यारेलाल कुर्मी
निवासी ग्राम सुकवा तहसील छतरपुर
जिला छतरपुर ––––– अनावेदक

श्री मुकेश बेलापुरकर, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अधिवक्ता, अनावेदक.

आदेश

(आज दिनांक 1–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 345/अ/6/95–96 में के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत विचारण न्यायालय में ग्राम खजुराहो स्थित प्रश्नाधीन सहखाते की भूमि के बटंवारे हेतु आवेदन दिया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने बटवारा आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने स्वीकार की एवं तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो विद्वान आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित होकर निरस्त किए जाने योग्य है । तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संहिता की धारा 49(3) के विपरीत है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के स्वत्वों पर विचार किए बिना तथा आवेदकगण की आपत्तियों का निराकरण किए बगैर बटवारे का आदेश दिया था उसे अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचना करने के उपरांत निरस्त कर आवेदकगण के स्वत्वों एवं पात्रता अनुसार बटवारे के आदेश दिए गए थे जिसे निरस्त करने में आयुक्त ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय में आवेदकगण को फर्द बटवारा तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थिति हेतु कोई सूचना नहीं दी गई थी । सम्पूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय रूप से निष्पादित की गई थी । आवेदकों द्वारा इस संबंध में तहसील न्यायालय के समक्ष स्पष्ट आपत्तियां पेश की गईं थीं जिनका निराकरण किए बिना जो आदेश पारित किया गया था उसे बहाल करने में आयुक्त ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी ने आवेदकगण के हित में पंजीकृत विक्रयपत्र के जर्ये भूमि का विक्रय किया था किंतु पुनः भूमि का विक्रय अनावेदक के हित में फर्जी ढंग से निष्पादित कर दिया गया । इस प्रकार अनावेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर राजस्व निरीक्षक द्वारा कब्जा व हक के आधार पर बनाए गए फर्द बटवारे के आधार पर आदेश पारित किया गया है । आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के बटवारे से संबंधित है । प्रकरण में तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन स्वीकार किया गया । जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर स्वतः बटवारा करने के आदेश दिए । द्वितीय अपील में आयुक्त ने एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त किया है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय ने बटवारे की जो कार्यवाही की है वह बटवारा नियमों के अनुसार होकर सुसंगत और न्यायिक है जिसे स्थिर रखने में आयुक्त ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर